न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 10 / 2021

प्रार्थी :– उम्मेद अली पुत्र रमजान खॉ, जाति सिन्धी मुसलमान, निवासी सायरपुरा कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रमजान पुत्र अकबर खॉ, जाति सिन्धी मुसलमान,निवासी सायरपुरा कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा/उप पंजीयन अधिकारी बिलाड़ा।
3. मैनेजर यूको बैक ब्रान्च भावी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री बीरमराम विश्नोई अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांक** :– 18/4/2023

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि पुश्तैनी गांव सायरपुरा की सरहद में स्थित है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज उतरोतर पीढी दर पीढी कब्जे काश्त में रह रहे है। प्रार्थी के दादा स्व. अकबर खॉ पुत्र मेहमूद खॉ की मूल खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सायरपुरा में राजस्व रेकर्ड के मुताबिक खाता सं. 2 से 5 में दर्ज है। माफिक राजस्व रेकर्ड के प्रार्थी के पूर्वज एवं दादाजी एवं अकबर खॉ के नाम से उक्त आराजी खाता सं. 2 खसरा सं. 129 रकबा 0.0971 हैक्टेयर गै.मु. बेरा, खसरा सं. 130 रकबा 14.0523 हैक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ, खाता सं. 3 खसरा सं. 106 रकबा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा सं. 107 रकबा 0.1456 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ओडिया, खसरा सं. 108 रकबा 19.3594 हैक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ, खाता सं. 4 खसरा सं. 67 रकबा 0.6796 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खाता सं. 5 खसरा सं. 66 रकबा 3.1875 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा सं. 85 रकबा 4.6760 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा सं. 94 रकबा 2.6697 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय दर्ज रही है। जिसमें मूल खातेदार अकबर खॉ पुत्र मेहमूद खॉ का क्रमशः खाता सं. 2 में 1/8 वॉ हिस्सा, खाता सं. 3 में 1/16 वॉ हिस्सा, खाता सं. 4 में 1/5 हिस्सा, खाता सं. 5 में 1/16 वॉ हिस्सा दर्ज रहा। जिनका इन्ताकाल विगत कृषि वर्ष में हो जाने से प्रार्थी के पिता का राजस्व रेकर्ड में विरासतन इन्तकाल दर्ज हो चुका है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के पिता है जो किसी अन्य लोगो से उत्प्रेरित होकर बिना किसी पारिवारिक जायज आवश्यकताओं के पुश्तैनी कृषि भूमि को किसी अन्य अजनबी खरीददारों को हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं प्रार्थी एवं गांव के मौतबीर लोगो ने अप्रार्थी सं. 1 से समझाईश का प्रयास किया किन्तु अप्रार्थी सं. 1 किसी अजनबी खरीददार से मिलकर वादग्रस्त पुश्तैनी कृषि भूमि को बिना किसी घरेलु आवश्यकताओं के स्वयं के नाम दर्ज कृषि भूमि के सम्पूर्ण रकबे को बैचान करने पर आमादा है एवं कमीशन के आधार पर उक्त आराजी को बंधक रखकर उससे प्राप्त धन राशि को गैर जरूरी कार्यो में लगाने पर आमादा है एवं वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी एवं उसके परिवार को पुश्तैनी जायदाद से जबरन उनके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है। अभी हाल ही में प्रार्थी एवं उसके निकट रिश्तेदारों ने अप्रार्थी सं. 1 से मिलकर वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण बिना किसी घरेलु आवश्यकताओं के भूमि बैचान करने से मना करने की समझाईश की, जिस पर अप्रार्थी सं. 1 नाराज हो गये एवं ग्राम सायरपुरा में दिनांक 17.02.2022 को एलानिया धमकी दी कि अप्रार्थी सं. 1 को किसी प्रकार अपनी जायज घरेलु आवश्यकता बाबत् धन की कोई आवश्यकता नही है किन्तु अप्रार्थी सं. 1 हर हाल में

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

वादग्रस्त आराजी के स्वयं के नाम से दर्ज खातेदारी की भूमि के सम्पूर्ण रकबे को बेचान किसी अन्य खरीददार के पक्ष में विक्रय अभिलेख अतिशीघ्र करवा देंगे। जिससे प्रार्थी एवं निकट रिश्तेदारों में वादग्रस्त आराजी के गैर कानूनी हस्तान्तरण की आवश्यकताओं को लेकर एक वाद व्याप्त हो चुका है। जिससे प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 व अन्य के विरूद्ध पेश करना पड़ रहा है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी सं. 1 व अन्य के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किसी अन्य अजनबी खरीददार को राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान नही करे एवं न ही किसी प्रकार का अनावश्यक रूप से कृषि ऋण ही प्राप्त करे, राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता ने मूल पत्रावली में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद सं. 1 दावा गलत होने से अस्वीकार है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा बहुत ही कमजोर आधार पर होने से प्रार्थी को उसमें सफलता मिलने की कोई उम्मीद नही है। पद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम सायरपुरा में खसरा सं. 129 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा सं. 130 रकबा 14.0523 हैक्टेयर, खसरा सं. 106 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा सं. 107 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा सं. 108 रकबा 19.3594 हैक्टेयर, खसरा सं. 67 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा सं. 66 रकबा 3.1875 हैक्टेयर, खसरा सं. 85 रकबा 4.6760 हैक्टेयर, खसरा सं. 94 रकबा 2.6697 हैक्टेयर जरूर

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
भिनाय

आयी हुयी है। जिसकी सयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 सयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे है। पद सं. 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि में कितना हिस्सा बनता है तथा न ही प्रार्थी का इस भूमि के किसी भाग पर कब्जा व काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को कोई धमकी नही दी बल्कि अप्रार्थी सं. 1 पिछले तीन वर्षों से विवादग्रस्त भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज है। इस कारण प्रार्थी का स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् दावा चलने योग्य नही है। पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 न तो विवादग्रस्त भूमि को बैचान हस्तान्तरण करने की कोशिश की गयी तथा न ही दिनांक 17.02.2022 को प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई धमकी दी गयी। प्रार्थी को दिनांक 17.02.2022 को कभी कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है। प्रार्थी कब्जे से बाहर होने से प्रार्थी का दावा म्याद बाहर होने से केवल इसी आधार पर चलने योग्य नही है। पद सं. 6, 7, 8 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया केस नही बनता है तथा न ही तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णनीय क्षति नही होगी। अप्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है, अतः रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। अतः बिना कब्जे काश्त के प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का दावा ही विधि अनुसार चलने योग्य नही है। प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी ने दावे में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 का विवादग्रस्त भूमि में कितना हिस्सा है तथा उनके बंट में कितनी भूमि आती है, उसका स्पष्ट विवरण दावे मे नही लिखा है जिसके अभाव में प्रार्थी का दावा/विधि प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। खातेदार रमजान खॉ के जीवनकाल में प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि में हिस्सा किस आधार पर बनता है, इसका दावे मे हिस्सा को स्पष्ट नही किया है। प्रार्थी ने दावे में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
[illegible]

का विवादग्रस्त भूमि में कितना हिस्सा है तथा उनके बंट में कितनी भूमि आती है, उसका स्पष्ट विवरण दावे में नही लिखा है जिसके अभाव में प्रार्थी का दावा पोषणीय नही है। जब अप्रार्थी सं. 1 रमजान खॉ विवादग्रस्त भूमि का खातेदार मौजूद है तथा उसके एक लड़का तथा तीन लडकिया मौजूद है तो प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि में कोई हक व अधिकार नही बनता है, इस कारण प्रार्थी का दावा चलने योग्य नही है। प्रार्थी ने पुश्तैनी भूमि को लेकर घोषण खातेदारी का दावा पेश किया है, लेकिन अप्रार्थी सं. 1 की तीन लडकिया भी उसके परिवार की कोपार्सनर है तथा उनका पैतृक सम्पति में हक व अधिकार बनता है। अतः सभी कोपार्सनर को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थी का दावा/विविध प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 3 को दावे/विविध प्रार्थना पत्र में पक्षकार क्यो बनाया है, इसका कोई स्पष्ट कारण नही लिखा है, इस कारण प्रार्थी का दावा/विविध प्रार्थना पत्र कुसंयोजन के आधार पर खारिज योग्य है।

अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि विविध प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम सायरपुरा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 129, 130, 106, 107, 108, 67, 66, 85, 94 का रेकर्डेड सयुक्त खातेदार है तथा अकबर खॉ पुत्र मेहमूद खॉ का प्रथम श्रेणी का वारिस है। वादी ने वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के आधार पर घोषणा खातेदारी का वाद पेश किया है, जिसका निर्धारण मूलवाद में होगा तथा प्रार्थी खातेदार रमजान खॉ के अन्य विधिक वारिसान एवं अन्य सयुक्त खातेदारान को वाद/प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है तथा न ही अपने प्रार्थना पत्र/वाद में यह कथन किया कि उन्हे पक्षकार बनाया जाना क्यो आवश्यक नही है एवं वर्तमान उपरोक्त वादग्रस्त भूमि

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, इसलिए एक रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का कितना हिस्सा बनता है उसका भी वर्णन नही किया है। अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 18/4/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा